

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/ 141

/अन.स्थाना./2026-27

दिनांक: 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12) 2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक: 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1)(ख)(एक) से (पांच) में निहित व्यवस्था एवं जनपदीय स्तरीय समिति के कार्यवृत्त के क्रम में जनपद हरिद्वार में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में (वेतनमान 44900-142400, लेवल-7) पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
धारा-17 (1)(ख)(एक)-गम्भीर रोग ग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) अथवा माता पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोग ग्रस्तता/अथवा अक्षमता के आधार पर					
1	विभा रानी	रा0प्रा0वि0 हद्दीपुर, बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 नवोदयनगर, बहादुराबाद	पति की बिमारी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
धारा-17 (1)(ख)(चार)-उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध					
2	अनुराधा	रा0प्रा0वि0 खेलडी, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 टांडा औरंगाबाद, बहादुराबाद	सेवारत पति / पत्नी	--तदैव--
3	मंजुला मुंडेपी	रा0प्रा0वि0 पुरणपुर, खानपुर	रा0प्रा0वि0 सरकडी ताहरपुर, रुडकी	सेवारत पति / पत्नी	--तदैव--
4	शैलजा जखमोला	रा0प्रा0वि0 डाण्डा तेलपुरा, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 मौहम्मदपुर कुन्हारी, बहादुराबाद	सेवारत पति / पत्नी	--तदैव--
धारा-17 (1)(ख)(पांच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक द्वारा अनुरोध					
5	मो0 असद	रा0प्रा0वि0 लोदीवाला, रुडकी	रा0प्रा0वि0 हथियाथल, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

- समस्त स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
- स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे प्रधानाध्यापक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित विद्यालय हेतु स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।

5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) एवं उपशिक्षा अधिकारी के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र उपशिक्षा अधिकारी के (उपशिक्षा अधिकारी प्राप्त शपथ पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3 (छ) के अन्तर्गत स्वयं का गम्भीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।



(अमित कुमार चन्द)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

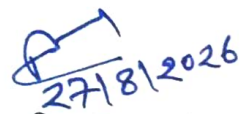
हरिद्वार।

दिनांक उक्तांकित।

पृ0सं0/प्रा0शि0/2300-2310/अनु0स्थाना0/2026-27

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद हरिद्वार।
9. सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी को इस इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. एम०आई०एस० प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
11. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को उक्त के अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी)
12. कार्यालय आदेश पत्रावली।



जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

हरिद्वार।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/142

/अन.स्थाना./2026-27

दिनांक: 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12) 2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक: 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1)(ख)(एक) से (पांच) में निहित व्यवस्था एवं जनपदीय स्तरीय समिति के कार्यवृत्त के क्रम में जनपद हरिद्वार में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (वेतनमान 44900-142400, लेवल-7) पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
धारा-17 (1)(ख)(एक)-गम्भीर रोग ग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) अथवा माता पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोग ग्रस्तता/अथवा अक्षमता के आधार पर					
1	अरुणिमा	रा0उ0प्रा0वि0 महतौली, लक्सर	रा0उ0प्रा0वि0 इब्राहिमपुर, बहादुराबाद	पति की बिमारी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
धारा-17 (1)(ख)(चार)-उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध					
2	विनेश कुमार	रा0उ0प्रा0वि0 राजपुर, बहादुराबाद	रा0उ0प्रा0वि0 रोशनाबाद, बहादुराबाद	सेवारत पति/ पत्नी	--तदैव--
3	भावना	रा0उ0प्रा0वि0 रोहालकी दयालपुर, भगवानपुर	रा0उ0प्रा0वि0 तेज्जुपुर, भगवानपुर	सेवारत पति/ पत्नी	--तदैव--
धारा-17 (1)(ख)(पांच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक द्वारा अनुरोध					
4	पूनम अरोडा	रा0उ0प्रा0वि0 सुल्तानपुर, लक्सर	रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर, रुडकी	विधवा	--तदैव--
5	प्रतिभा ढोलका	रा0उ0प्रा0वि0 मुण्डयाकी, नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 खेमपुर झोझा, नारसन	तलाकशुदा	--तदैव--
6	विवेक कुमार शर्मा	रा0उ0प्रा0वि0 कोटामुरादनगर, बहादुराबाद	रा0उ0प्रा0वि0 रोशनाबाद, बहादुराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
7	नीलम शर्मा	रा0उ0प्रा0वि0 सीधड़, लक्सर	रा0उ0प्रा0वि0 करौन्दी, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
8	नीलम त्यागी	रा0उ0प्रा0वि0 कुमराडी, नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
9	मुकेश कुमार	रा0उ0प्रा0वि0 बिन्दुखडक, भगवानपुर	रा0उ0प्रा0वि0 दरियापुर, भगवानपुर	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

- समस्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित

किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

2. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे सहायक अध्यापक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित विद्यालय हेतु स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।
5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) एवं उपशिक्षा अधिकारी के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र उपशिक्षा अधिकारी के (उपशिक्षा अधिकारी प्राप्त शपथ पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3 (छ) के अन्तर्गत स्वयं का गम्भीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

(अमित कुमार चन्द)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

हरिद्वार।

पृ0सं0/प्रा0शि0/2311-22 /अनु0स्थाना0/2026-27

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक उक्तांकित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद हरिद्वार।
9. सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी को इस इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
11. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनपद हरिद्वार को उक्त के अनुपालनार्थ।

12. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को उक्त के अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी)
13. कार्यालय आदेश पत्रावली।

27/8/2026
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
हरिद्वार।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/ 343

/अन.स्थाना./2026-27

दिनांक: 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12) 2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक: 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1)(ख)(एक) से (पांच) में निहित व्यवस्था एवं जनपदीय स्तरीय समिति के कार्यवृत्त के क्रम में जनपद हरिद्वार में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में (वेतनमान 35400-112400, लेवल-6) पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	सहायक अध्यापक रा0प्रा0वि0 का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
धारा-17 (1)(ख)(एक)-गम्भीर रोग ग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) अथवा माता पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोग ग्रस्तता/अथवा अक्षमता के आधार पर					
1	अनिता बहुखण्डी	रा0प्रा0वि0 मुकरपुर, बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 नं038, ज्वालापुर, बहादुराबाद	स्वयं की बिमारी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	दिनेश सिंह	रा0प्रा0वि0 मोहम्मदपुर बुजुर्ग, लक्सर	रा0प्रा0वि0 चण्डीघाट, बहादुराबाद	स्वयं की अक्षमता	---तदैव---
3	विजय कुमार	रा0प्रा0वि0 रांघडवाला, रुडकी	रा0प्रा0वि0 दरियापुर नं02, भगवानपुर	स्वयं की अक्षमता	---तदैव---
4	रवि कुमार बागडी	रा0प्रा0वि0 लालवाला, खानपुर	रा0प्रा0वि0 चण्डीघाट, बहादुराबाद	स्वयं की बिमारी	---तदैव---
5	शालिनी	रा0प्रा0वि0 हसनपुर मदनपुर भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 सुनहरा, रुडकी	स्वयं की बिमारी	---तदैव---
6	मनीष कुमार	रा0प्रा0वि0 जोगावाला नं01, खानपुर	रा0प्रा0वि0 लाठरदेवा शेख, रुडकी	स्वयं की अक्षमता	---तदैव---
7	उमा देवी	रा0प्रा0वि0 अकबरपुर ऊद, लक्सर	रा0प्रा0वि0 झबरेडा नं01, नारसन	पति/पत्नी की बिमारी	---तदैव---
8	आरजू	रा0प्रा0वि0 बादशाहपुर, बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 जगजीतपुर, बहादुराबाद	पति की अक्षमता	---तदैव---
9	लक्ष्मी लम्बगोटा	रा0प्रा0वि0 नयागांव, बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 बौंगला नं02, बहादुराबाद	माता दृष्टिबाधित	---तदैव---
10	निर्मला मैठाणी	रा0प्रा0वि0 अकबरपुर ऊद, लक्सर	रा0प्रा0वि0 कटारपुर, बहादुराबाद	ससुर की बिमारी	---तदैव---
11	पूनम राठौर	रा0प्रा0वि0 रुहालकी, खानपुर	रा0प्रा0वि0 कुरडी, नारसन	सास की बिमारी	---तदैव---
12	चित्रा यादव	रा0प्रा0वि0 सुल्तानपुर नं02, लक्सर	रा0प्रा0वि0 अलीपुर, बहादुराबाद	पुत्री की बिमारी	---तदैव---
धारा-17 (1)(ख)(चार)-उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध					
13	वीर बाला	रा0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, रुडकी	रा0प्रा0वि0 पुहाना, रुडकी	पति/पत्नी सेवारत	---तदैव---
14	पंकज कुमार	रा0प्रा0वि0 मखियाली कलां, लक्सर	रा0प्रा0वि0 भंगेडी नं01, रुडकी	पति/पत्नी सेवारत	---तदैव---

15	गुंजन विश्णोई	रा0प्रा0वि0 अकबरपुर ऊद, लक्सर	रा0प्रा0वि0 शाहपुर नं01, बहादराबाद	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
16	सीमा रानी	रा0प्रा0वि0 बडेडी राजपुताना, रुडकी	रा0प्रा0वि0 कान्हापुर, रुडकी	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
17	रेणू विश्वकर्मा	रा0प्रा0वि0 पिपली, लक्सर	रा0प्रा0वि0 इब्राहीमपुर, बहादराबाद	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
18	बीना घनसेला	रा0प्रा0वि0 नयागांव, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 समसपुर कटेवड, बहादरबाद	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
19	सचिन कुमार	रा0प्रा0वि0 हलजौरा, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 सालियर, रुडकी	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
20	नवीन कुमार	रा0प्रा0वि0 नाईवाला, खानपुर	रा0प्रा0वि0 पीरपुरा, नारसन	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
21	निशा गुप्ता	रा0प्रा0वि0 मुण्डेट, नारसन	रा0प्रा0वि0 मतलबपुर, रुडकी	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
22	मोनिका रानी	रा0प्रा0वि0 शाहपुर, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 मोहम्मदपुर मोहनपुरा	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
23	प्रान्शू सिंह	रा0प्रा0वि0 खडण्जा कुतुबपुर, लक्सर	रा0प्रा0वि0 लण्ढौरा नं04, नारसन	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
24	शलभ कुमार जैन	रा0प्रा0वि0 मुण्डेट, नारसन	रा0प्रा0वि0 मतलबपुर, रुडकी	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
25	विनोद सिंह कठायत	रा0प्रा0वि0 जोगावाला नं01, खानपुर	रा0प्रा0वि0 छापुर, भगवानपुर	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
26	प्रवेश पंवार	रा0प्रा0वि0 शाहपुर, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 करौन्दी, रुडकी	पति / पत्नी सेवारत	---तदैव---
धारा-17 (1)(ख)(पांच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक द्वारा अनुरोध					
27	अंजुबाला	रा0प्रा0वि0 धीरमजरा नं01, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 पुहाना, रुडकी	विधवा	---तदैव---
28	वंदना कुमारी	रा0प्रा0वि0 टाण्डा, नारसन	रा0प्रा0वि0 मंगलौर नं012, नारसन	तलाकशुदा	---तदैव---
29	संगीत बाला	रा0प्रा0वि0 बहादरपुर सैनी, रुडकी	रा0प्रा0वि0 रावली महदूद नं01, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
30	राजेश कुमार	रा0प्रा0वि0 गढमीरपुर नं01, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 रावली महदूद नं01, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
31	अल्पना गुप्ता	रा0प्रा0वि0 आन्नेकी नं01, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 रावली महदूद नं01, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
32	अंजु यादव	रा0प्रा0वि0 आन्नकी नं01, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 रोश्नाबाद, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
33	सविता चौहान	रा0प्रा0वि0 भगतनपुर आबिदपुर, बहादरबाद	रा0प्रा0वि0 बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
34	सतीश कुमार	रा0प्रा0वि0 कोटामुरादनगर नं01, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 इब्राहीमपुर, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
35	नरेश कुमार	रा0प्रा0वि0 रसूलपुर टोंगिया, बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 डोगीवाला, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
36	नीरू अग्रवाल	रा0प्रा0वि0 फतवा, लक्सर	रा0प्रा0वि0 पदार्था, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
37	मधू रावत	रा0प्रा0वि0 इनायतपुर, भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 टोडा कल्याणपुर, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---
38	वन्दना शर्मा	रा0प्रा0वि0 फतवा, लक्सर	रा0प्रा0वि0 पदार्था, बहादराबाद	वरिष्ठ कार्मिक	---तदैव---

39	सुषमा रानी	रा0प्रा0वि0 नाथूखेडी, नारसन	रा0प्रा0वि0 जैनपुर झंझेडी, नारसन	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
40	सुचेता शर्मा	रा0प्रा0वि0 कोटवाल आलमपुर, नारसन	रा0प्रा0वि0 जैनपुर झंझेडी, नारसन	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
41	मीनाक्षी सिंह	रा0प्रा0वि0 हेर्यामपुर, नारसन	रा0प्रा0वि0 भरतपुर साल्हापुर, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
42	संगीता मित्तल	रा0प्रा0वि0 हरजौली, नारसन	रा0प्रा0वि0 नन्हेडा अनन्तपुर, रुडकी	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
43	रेखा यादव	रा0प्रा0वि0 शीतलपुर, नारसन	रा0प्रा0वि0 मंगलौर नं01, नारसन	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--
44	अरविन्द कुमार	रा0प्रा0वि0 कोटामुरादनगर नं01, बहादरबाद	रा0प्रा0वि0 इब्राहीमपुर, बहादरबाद	वरिष्ठ कार्मिक	--तदैव--

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

1. समस्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
2. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे सहायक अध्यापक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित विद्यालय हेतु स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।
5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) एवं उपशिक्षा अधिकारी के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र उपशिक्षा अधिकारी के (उपशिक्षा अधिकारी प्राप्त शपथ पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3 (छ) के अन्तर्गत स्वयं का गम्भीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

27/8/2026

(अमित कुमार चन्द)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

हरिद्वार।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद हरिद्वार।
9. सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी को इस इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. एम०आई०एस० प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
11. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद हरिद्वार को उक्त के अनुपालनार्थ।
12. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को उक्त के अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी)
13. कार्यालय आदेश पत्रावली।


27/8/2026
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
हरिद्वार।